

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक: 11.07.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार बिडियासर, संयुक्त विधि परामर्शी, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर का वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, आबकारी विभाग, उदयपुर में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2022 के द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


श्री पवन कुमार तंवर, संयुक्त विधि परामर्शी को आदेशों की प्रतिक्षा में प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव